संख्या-01/2024/1208/001-53-2099-1405-2019-2(47)/2015

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 03 जनवरी, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में (अनुदान संख्या-16 राज्य योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-315/दुग्ध-4/नियो0/सू0तकनीक कम्प्यूटी0/2024-25, दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख सापेक्ष पी0सी0डी0एफ0 कार्यालय हेतु रू0 140.00 लाख एवं दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतु रू0 60.00 लाख एवं अर्थात रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख सापेक्ष पी0सी0डी0एफ0 हेतु रू0 140.00 लाख एवं दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतु रू0 60.00 लाख अर्थात कुल रू0 140.00+60.00=200.00 लाख की धनराशि निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल प्रस्तर-3 में उल्लिखित नियमों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	उपकरण/सेवाओं का विवरण	मेक/माडल /नाम	अनुमानित दर	नग/ संख्या	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
(अ)पी0सी0डी0एफ0 कार्यालय हेतु					
1	आन लाईन डीपीएमसीयू मानीटरिंग साफ्फवेयर के टेक्नीकल सपोर्ट एवं पी0सी0डी0एफ0 एवं 18 दुग्ध संघों में स्थापित कन्ट्रोल रूम हेतु लीज लाईन की व्यवस्था हेतु।	--	--	--	131.65
2	विभागीय वेबसाईट के टेक्नीकल सपोर्ट एवं सिक्योरिटी आडिट हेतु	--	--	--	1.75
3	विभागीय एमआईएस पोर्टल के टेक्नीकल सपोर्ट हेतु	--	--	--	0.40
4	ईमेल व्यवस्था के टेक्नीकल सपोर्ट हेतु	--	--	--	0.45
5	पीसीडीएफ मुख्यालय एवं इकाईयों हेतु डेस्कटाप कम्प्यूटर सिस्टम (एसेसरीज सहित) का क्रय (03 नग)	--	--	--	3.75

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	पीसीडीएफ मुख्यालय हेतु लीजलाईन एवं ब्राडबैंड व्यवस्था हेतु।	--	--	--	2.00
				योग-	140.00
(ब) दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतु					
1	विभागीय वेबसाईट के वार्षिक अनुरक्षण, होस्टिंग, सिक्योरिटी आडिट, टक्नीकल सपोर्ट आदि कार्यो हेतु।	(updairydevlopment.gov.in) जेमपोर्टल के माध्यम से	4.00	01	4.00
2	मा0 मुख्यमंत्री जी के डैशबोर्ड दर्पण 2.0 से इन्टीग्रेट, जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवा दुग्ध समितियों के आनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु पोर्टल के वार्षिक अनुरक्षण, होस्टिंग, सिक्यूरिटी आडिट, टेक्नीकल सपोर्ट, नवीनीकरण आदि कार्यो हेतु।	(milk society registration G2C)	15.00	01	15.00
3	दुग्ध आयुक्त कार्योलय में स्थापित समस्त कम्प्यूटरों हेतु बी0एस0एन0एल0 द्वारा 30 एमबीपीएस की प्रदान की जा रही इण्टरनेट लीज लाईन की सेवा का वार्षिक व्यय हेतु।	शासकीय संस्था बीएसएनएल	4.50	01	4.50
4	शासकीय कार्यो के सम्पादन हेतु दुग्ध आयुक्त कार्यालय के आल इन वन डेस्कटाप कम्प्यूटर क्रय हेतु।	आई-5/7 आल इन वन डेस्कटाप कम्प्यूटर जेम पोर्टल के माध्यम से	1.25	20	25.00
5	दुग्ध आयुक्त कार्यालय के शासकीय कार्यो के सम्पादन हेतु लैपटाप क्रय हेतु	आई-5/7 लैपटाप जेम पोर्टल के माध्यम से	1.25	6	7.50
6	कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों हेतु पावर बैकअप	जेम पोर्टल के माध्यम से	04.00	01	04.00
				योग-	60.00
				महायोग-(अ)पीसीडीएफ कार्यालय हेतु+(ब) दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतु	**200.00**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध</u>

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रस्तावित कार्यो/मदों हेतु उक्त तालिका के कालम-2 के अनुसार अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो अपने संसाधन से वहन किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु है, जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/ संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा, व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए दुग्ध आयुक्त स्वयं जिम्मेदार होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित होता है, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त का होगा ।

(6) धनराशि का आहरण करने तथा स्वीकृत धनराशि निर्धारित प्रायोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व दुग्ध आयुक्त का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से मशीनरी/उपकरणों आदि का क्रय शूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के संगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुसरण करते हुए तालिका के कालम-3 के अनुसार किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारी ही लेखे बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परिक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(9) वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवशेष तथा उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र मदवार निर्धारित प्रारूप पर शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404001020305 सूचना तकनीक एवं कम्प्युटरीकरण **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव,

संख्या-01/2024/1208(1) /001-53 2099 1405 2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय लखनऊ/प्रयागराज।
3- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
6- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यंय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- वेबमास्टडर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें ।
9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।